न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0 2023 /	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11 / 61 / 2025	2025 / 264	12.05.2025	11.06.2025

1– मिन्द्रो बाई पुत्री निक्काराम पत्नी अमरचन्द जाति राजपूत निवासी ग्राम खोहा हाल आबाद तिलवाड तहसील रामगढ हाल तहसील नौगांवा जिला अलवर (राजस्थान)

2– बबली पुत्री निक्काराम पत्नी अशोक कुमार जाति राजपूत निवासी ग्राम खोहा हाल आबाद मकान न0 421 गुहाना रोड नियर सरोजनी नायडू स्कूल कैथल हरियाणा।

3– इन्द्रो पुत्री निक्काराम पत्नी औमप्रकाश जाति राजपूत निवासी ग्राम खोहा हाल आबाद महराना (29) जिला पानीपत हरियाणा।

अपीलान्ट

बनाम

1–तहसीलदार किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा।

रेस्पॉडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार किशनगढबास निर्णय दिनाक 25.03.2025 (विरासत) नामान्तकरण संख्या 1766 वाके ग्राम खोहा तहसील किशनगढबास जिला जिला खैरथल–तिजारा। (राजस्थान) जिसके द्वारा विधि विरूद्ध बिना जॉच पडताल किये ही निर्णित किया गया है, को निरस्त किया जावे।

उपस्थित–

01. श्री रतिराम चौधरी –वकील अपीलान्ट

–:निर्णयः–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार किशनगढबास के (विरासत) नामान्तकरण संख्या 1766 निर्णय 25.03.2025 वाके ग्राम खोहा तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा जिसके द्वारा विधि विरूद्ध बिना जॉच पडताल किये ही निर्णित किया गया से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि ग्राम खोहा तहसील किशनगढबास में मृतक सुमित्रा पत्नी स्व0 निक्काराम जाति राजपूत की खातेदारी आराजी खसरा न0 1015 रकबा 1.42 है0 व 930 रकबा 0.20 है0 में से मुताबिक हिस्सा जमाबंदी अनुसार थी और आज भी है, जो भूमि निक्काराम के देहान्त के पश्चात उसके विधिक वारिसान मृतक पत्नी सुमित्रा बाई सहित अन्य तीन पुत्रीयान अपीलान्टान के हक में विधिवत विरासत नामान्तकरण दर्ज व स्वीकार हुआ। आराजी मुताबिक हिस्सा जमाबंदी संवत 2074–2077 के अनुसार अपीलान्टान व उनकी माता अपने जीवन काल में खुद काबिज व काश्त करती रही है, अपीलान्टान की माता सुमित्रा बाई के फौत होने पर मृतक सुमित्रा बाई की विरासत ईन्तकाल संख्या 1766 पटवारी हल्का द्वारा दिनाक 17.02.2025 को भरा जिस पर भू0 अभिलेख निरीक्षक के मिलान करने के पश्चात रेस्पोडेन्ट तहसीलदार द्वारा बिना जॉच पडताल किये बिना विधिक वारिसान की जॉच कराये मनमाने

जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा (राज०)

तरीके से खारिज फरमाया गया है। जबकि मृतक सुमित्रा बाई केवल मात्र तीन पुत्रीयान कंमश मिन्द्रो बाई, बबली, इन्द्रो अपीलान्टान है, तथा जायन्दा पुत्र एक भी नही है। इस प्रकार मृतक सुमित्रा बाई कुल आठ तीन पुत्रीयान है और सभी उसके विधिक वारिसान है, जिनका शजरा निम्न प्रकार हैः– सुमित्रा बाई (मृतक) पत्नी स्व0 निक्काराम (1) मिन्द्रो बाई (2) बबली (3) इन्द्रो मृतक सुमित्रा बाई के अपीलान्टान तीन पुत्रीयान के अलावा अन्य कोई विधिक वारिस जीवित नही है, तथा न ही कोई पुत्र है। निक्काराम राजपूत पूर्व में ही फौत हो चुका है, जिसकी विरासत नामान्तकरण के विधिक वारिसान के हक में आराजीयात विधिवत मृतक सुमित्रा बाई व अपीलान्टान के हक में दर्ज होकर स्वीकार हुआ है, जिनके नाम का अंकन बाद विरासत नामान्तकरण चौसाला जमाबंदीयात में दर्ज होता आ रहा है। मिन अपीलान्टान की माता सुमित्रा बाई पत्नी स्व0 निक्काराम राजपूत का देहान्त दिनाक 18.06.2024 को हो चुंका है, जिसकी विरासत का नामान्तकरण संख्या 1766 दिनाक 17.02.2025 को विधिवत अपीलान्टान ने अपनी माता का मृत्यू प्रमाण पत्र व अपनी आवश्कय आईडी प्रूफ दस्तावेजात प्रस्तुत कर दर्ज करने हेतु पटवारी हल्का को दे दिया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा विरासत का नामान्तकरण दर्ज होने की कार्यवाही ऑनलाईन करते हुऐ जांच पडताल करने के बाद मुताबिक मृत्यू प्रमाण पत्र शपथ पत्र वारिसान के अनुसार नामान्तकरण दर्ज कर वास्ते जॉच व आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया जिस पर विरासत नामान्तकरण 1766 को तहसीलदार किशनगढबास द्वारा वारिसान के नाम में अंतर होने एवं पटवारी घटना पुष्टि डायरी संलग्न नही होने से तथा पुनः जॉच का विकल्प भी नही होने से नामान्तकरण खारिज किया गया है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय की जानकारी मिन अपीलान्टान को पूर्व में नही थी, सर्वप्रथम जानकारी दिनाक 21.04.2025 को पटवारी हल्का से जानकारी करने पर हुई जिस पर दिनाक 22.04.2025 को नकल हेतु आवेदन किया गया जो उसी दिन प्राप्त हुई। जिस पर कानूनी सलाह मशवरा कर बिना देरी किये यह अपील पेश की गयी है, अपील किये जाने में हुऐ विलम्ब को माफ किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 पृथक से पेश कर कर अपील अपीलान्टान अन्दर मियाद ग्रहण की जाकर, अपील अपीलान्टान स्वीकार फरमायी जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय निरस्त किया जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एंव वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम पर विचार किया। अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश (विरासत) नामान्तकरण संख्या 1766 निर्णय दिनांक 25.03.2025 वाके ग्राम खोहा तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा के विरूद्व अपील न्यायालय हाजा को दिनाक 06.05.2025 को पेश की गयी है, जो करीब 1 माह दस दिवस पश्चात पेश की गयी है, जो विलम्ब से पेश की गयी है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय (विरासत) नामान्तकरण संख्या 1766 निर्णय दिनांक 25.03.2025 वाके ग्राम खोहा तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा की सर्वप्रथम जानकारी अपीलान्टान को दिनाक 21.04.2025 को होना अंकित किया गया है, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर द्वारा भी विभिन्न द्वष्टान्तो में मियाद के बिन्दू नरमी का रूख अपनाने का सिद्वान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्ट का मुख्य कथन है, कि विवादित (विरासत) नामान्तकरण संख्या 1766 निर्णय दिनांक 25.03.2025 वाके ग्राम खोहा तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा में वर्णित आराजीयात निक्काराम के देहान्त के पश्चात उसके विधिक वारिसान मृतक पत्नी सुमित्रा बाई सहित अन्य तीन पुत्रीयान अपीलान्टान के हक में विधिवत विरासत नामान्तकरण दर्ज व स्वीकार हुआ। आराजी मुताबिक हिस्सा जमाबंदी संवत 2074–2077 के अनुसार अपीलान्टान व उनकी माता अपने जीवन काल में खुद काबिज व काश्त करती रही है, अपीलान्टान की माता सुमित्रा बाई के फौत होने पर मृतक सुमित्रा बाई की विरासत ईन्तकाल संख्या 1766 पटवारी हल्का द्वारा दिनाक 17.02.2025 को भरा जिस पर भू0 अभिलेख निरीक्षक के मिलान करने के पश्चात रेस्पोडेन्ट तहसीलदार द्वारा बिना जॉच पडताल किये बिना विधिक वारिसान की जॉच कराये मनमाने तरीके से खारिज फरमाया गया है। जबकि मृतक सुमित्रा बाई केवल मात्र तीन पुत्रीयान कंमश मिन्द्रो बाई, बबली, इन्द्रो अपीलान्टान है, तथा जायन्दा पुत्र एक भी नही है। इस प्रकार मृतक सुमित्रा बाई कुल तीन पुत्रीयान है

जिला कलक्टर
तिजारा (राज0)

एवं विधिक वारिसान के नाम ।

और सभी उसके विधिक वारिसान है, जिनका शजरा निम्न प्रकार है:— सुमित्रा बाई (मृतक) पत्नी स्व0 निक्काराम (1) मिन्द्रो बाई (2) बबली (3) इन्द्रो मृतक सुमित्रा बाई के अपीलान्टान तीन पुत्रीयान के अलावा अन्य कोई विधिक वारिस जीवित नही है, तथा न ही कोई पुत्र है। तहत अदालत के रिकार्ड का अवलोकन किया गया विवादित नामान्तकरण संख्या 1766 दिनाक 17.02.2025 को पटवारी हल्का द्वारा दर्ज किया जाकर वास्ते निर्णय हेतु पीठासीन अधिकारी के समक्ष पेश किया गया जिस पर पीठासीन अधिकारी द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजो में अपीलान्ट का नाम भिन्न दर्ज होने के कारण नामान्तकरण खारिज किया गया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील में अपीलान्ट का नाम राजस्व रिकार्ड में भिन्न दर्ज है, के बाबत कोई स्थिति स्पष्ट नही की गयी है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित है। अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है, निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत तहसीलदार किशनगढबास को तहत अदालत के रिकार्ड के साथ वापिस भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल रिकॉर्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 11.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राज0)

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज0)